अध्याय—एक

अध्याय – एक

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम समाविष्ट है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिये की गई है । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने सितम्बर 2014 के अपने अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार ₹ 59860.12 करोड़ का व्यवसाय किया । मध्यप्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में संकेन्द्रित है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों ने अपने अंतिम रूप दिये गये अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार सितम्बर 2014 को कुल मिलाकर ₹5866.34 करोड़ की हानि उठाई । 31 मार्च 2014 को उपक्रमों में 62420[1] कर्मचारी कार्यरत थे ।

1.2 नीचे दी गई तालिका 1.1 के विवरणों के अनुसार 31 मार्च 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के 67 उपक्रम थे (58 कार्यशील एवं 9 अकार्यशील) । इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध नहीं थी ।

तालिका क्रमांक 1.1

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम[2]	योग
सरकारी कम्पनियाँ	55	9	64
सांविधिक निगम	3	निरंक	3
योग	**58**	**9**	**67**

1.3 वर्ष 2013–14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम, पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड और मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की स्थापना की गई।

लेखापरीक्षा जनादेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 द्वारा नियंत्रित की जाती है। धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी वह कम्पनी होती है जिसमें सरकार/सरकारों की पूंजी, प्रदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत से कम न हो। एक सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है । यह भी कि एक कम्पनी जिसमें 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी सरकारों, सरकारी कम्पनीयों तथा सरकार के नियंत्रण वाले उपक्रमों के किसी समूह द्वारा संयोजित की गई हो तो उसे भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–ख के अनुसार एक सरकारी कम्पनी (मानद सरकारी कम्पनी) मानी जायेगी ।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों के लेखे (जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा उन संविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती

---

[1] 43 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा विवरण के अनुसार शेष 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विवरण नहीं दिया ।

[2] सार्वजनिक क्षेत्रों के अकार्यशील उपक्रम वे है जिन्होने अपने क्रियाकलाप बंद कर दिये है ।

है जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा अपने–अपने संबंधित विधानों[3] द्वारा नियन्त्रित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम (म.प्र.स.प.नि.) हेतु नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। मध्यप्रदेश वेयरहाऊसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कारपोरेशन (म.प्र.वि.लॉ.का.) और मध्यप्रदेश वित्त निगम (म.प्र.वि.नि.) की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है ।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के 67 उपक्रमों में निवेश नीचे दिये गये तालिका क्र. 1.2 के विवरणों के अनुसार ₹ 54206.15 करोड़ था ।

तालिका क्रमांक 1.2 *(₹ करोड़ में)*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			महायोग
	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	
सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रम	18642.03	33353.89	51995.92	516.01	1500.21	2016.22	54012.14
सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रम	59.57	134.44	194.01	..	..	..	194.01
योग	**18701.60**	**33488.33**	**52189.93**	**516.01**	**1500.21**	**2016.22**	**54206.15**

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश का सारांश ***परिशिष्ट–1.1*** में दर्शाया गया है ।

1.8 31 मार्च 2014 को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 99.64 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों में और शेष 0.36 प्रतिशत अकार्यशील कम्पनियों में था। इस कुल निवेश में पूंजी के 35.45 प्रतिशत और दीर्घकालीन ऋणों के 64.55 प्रतिशत समाविष्ट है। निवेशों में 210.67 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जो कि वर्ष 2008–09 में ₹ 17447.93 करोड़ से वर्ष 2013–14 में ₹ 54206.15 करोड़ तक थी, जिसे ग्राफ क्र. 1.1 में दर्शाया गया है ।

[3] म.प्र.स.प.नि.; सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950, म.प्र.वे.ला.का.; वेयर हाउसिंग निगम अधिनियम, 1962; म.प्र.वि.नि; राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951।

ग्राफ क्रमांक 1.1

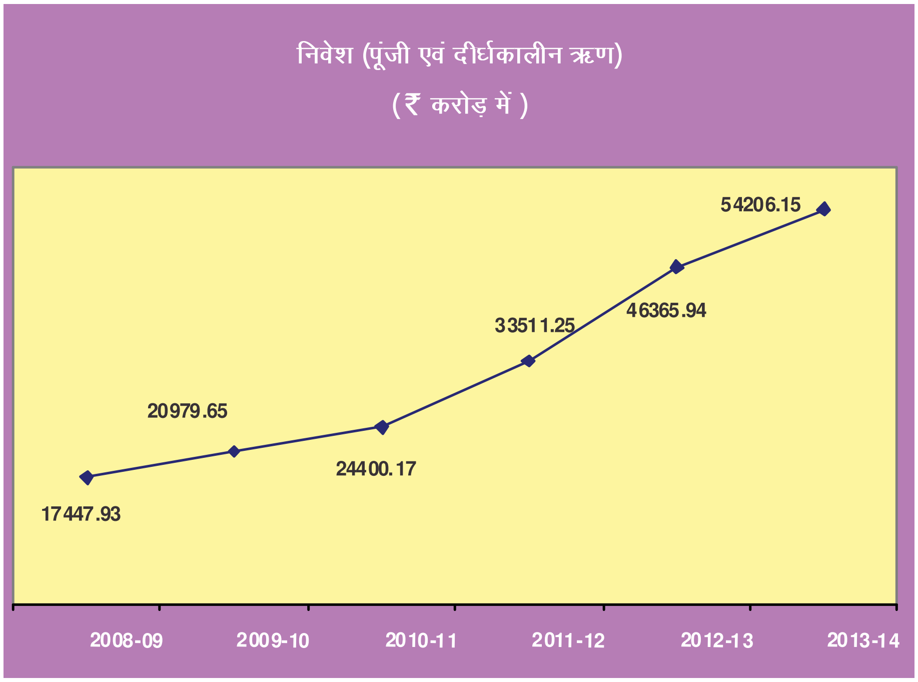

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.9 31 मार्च 2009 तथा 31 मार्च 2014 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश और उसका प्रतिशत ग्राफ क्र. 1.2 में प्रदर्शित किया गया है :

ग्राफ क्रमांक 1.2

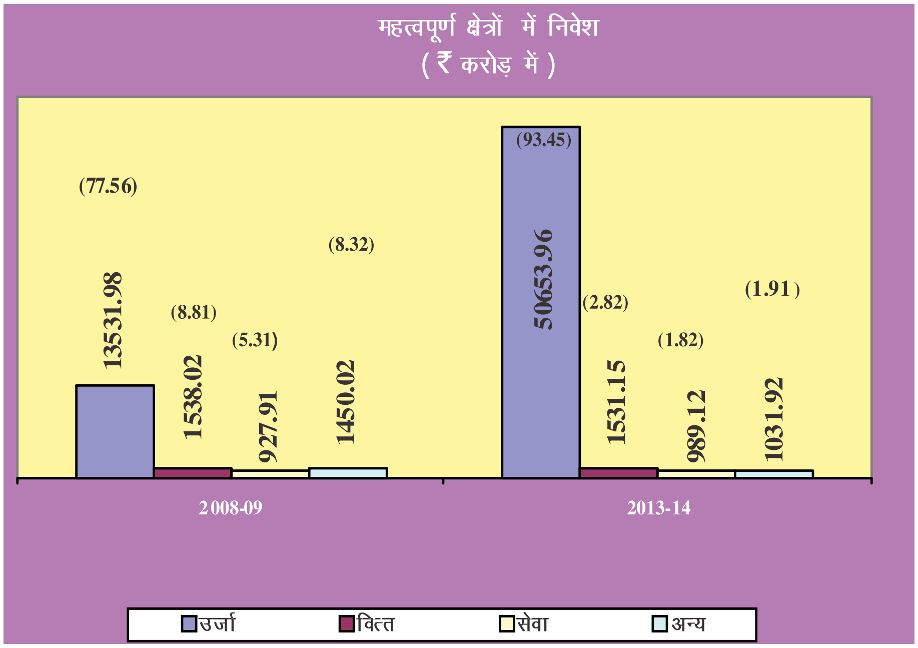

(कोष्ठक में दर्शाये गए आकड़े कुल निवेश की प्रतिशतता दर्शाते हैं।)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश का जोर मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र में रहा जो कि वर्ष 2008–09 में ₹ 13531.98 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013–14 में ₹ 50653.96 करोड़ हो गया। वर्ष 2008–09 की तुलना में वर्ष 2013–14 में सरकार का निवेश ऊर्जा वित्त एवं सेवा क्षेत्र में बढ़ गया जबकि अन्य क्षेत्र में कम हो गया ।

बजट से प्राप्त समता पूँजी, अनुदान/आर्थिक सहायता, गारंटियां तथा ऋण

1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य सरकार से समता पूंजी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता, जारी गारंटियां, तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण सम्बन्धी बजट से प्राप्त राशि के विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिये गये है। 2013–14 को समाप्त तीन वर्षो के संक्षिप्त विवरण तालिका क्र. 1.3 में दिए गए है:

तालिका क्रमांक 1.3

क्र. स.	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से प्राप्त समता पूंजी	9	1147.38	9	1418.65	6	1544.67
2.	बजट से दिए गए ऋण	6	1745.99	4	2148.50	6	3786.50
3.	प्राप्त अनुदान/आर्थिक सहायता	18	5981.37	18	8588.93	22	9282.34
4.	कुल प्राप्त राशि (1+2+3)		8874.74		12156.08		14613.51
5.	समता पूंजी में परिवर्तित ऋण	..	..		..	..	..
6.	जारी गारंटियां	8	2429.15	7	5303.11	8	6528.32
7.	वचनबद्धता वाली गांरटी	7	3259.42	8	4815.88	9	7873.52

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.11 विगत छः वर्षो के लिये समता पूंजी, ऋण तथा अनुदान/आर्थिक सहायता संबंधी बजट से प्राप्त राशि के विवरण ग्राफ क्र. 1.3 में दिये गये है ।

ग्राफ क्रमांक 1.3

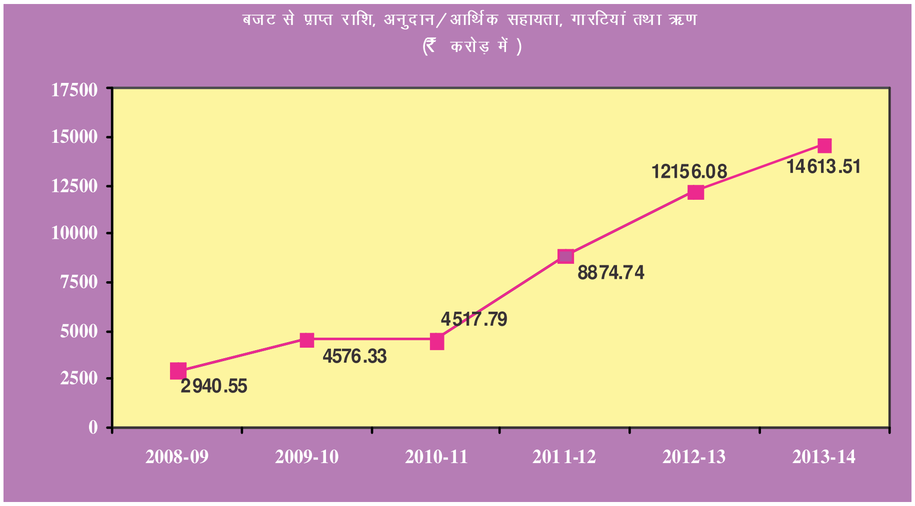

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

बजट से समता ऋण एवं अनुदान/आर्थिक सहायता वर्ष 2012–13 में ₹ 12156.08 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 14613.51 करोड़ प्राप्त हुये । जिसका कारण 6 उपक्रमों[4] में समता का बढ़ना, 6 उपक्रमों[5] में ऋणों का बढ़ना तथा 22 उपक्रमों[6] में अनुदान/आर्थिक सहायता बढ़ना रहा है।

1.12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संस्वीकृत अधिकतम गारंटी पर राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन भुगतान करने के लिये बाध्य है । चाहे उपक्रमों द्वारा उस राशि का लाभ उठाया गया हो या राशि बकाया हो राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के अंत तक नौ उपक्रमों के लिए गारंटी की राशि ₹ 7873.52 करोड दी गई थी, जिसके विरूद्ध गारंटी कमीशन ₹ 68.21 करोड का भुगतान 31 मार्च 2014 तक किया जाना था । परन्तु केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा गांरटी कमीशन के ₹ 6.05 करोड का भुगतान किया गया।

वित्त लेखे के साथ मिलान

1.13 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुसार बकाया समता पूंजी, ऋण तथा गारंटियों के आकड़ों का मिलान राज्य के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकडों के साथ होना चाहिये । यदि आंकड़े मेल नहीं खाते है, तो सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को मिलान करना चाहिये । 31 मार्च 2014 को इस सम्बन्ध में स्थिति तालिका क्र. 1.4 में दी गई है :

[4] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. क – 8, 9, 19, 20, 26 ख–2
[5] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. क – 10, 15, 16, 17, 18 व ख – 1।
[6] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. क – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 व 26।
[7] परिशिष्ट – 1.2 के क्र. क – 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 व ख – 1।
[8] परिशिष्ट – 1.3 के क्र. क – 15, 19, 20 वं ख – 2।

तालिका क्रमांक 1.4 *(₹ करोड़ में)*

निम्नांकित के संबंध में बकाया	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखो के अनुसार राशि	अंतर
समता पूंजी	4160.69	13283.39	9122.70
ऋण	30686.33	20859.27	9827.06
गारंटियां	8115.21	7873.52	241.69

(स्त्रोत :– वित्तीय लेखे 2013–14 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.14 हमने पाया कि अन्तर, 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में थे । सरकारी कम्पनियों/निगमों में राज्य सरकार द्वारा निवेश किये गये समता पूंजी तथा ऋणों के आंकड़ों में विसंगति के मिलान के लिये सरकार एवं समस्त सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पत्र (नवंबर 2014) लिखे गए थे । सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अन्तरों के मिलान के लिये समयबद्ध ढंग से ठोस कदम उठाना चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय परिणाम एंव सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों का विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट 1.3, 1.4, एवं 1.5*** में दिया गया है।

1.16 अद्यतन अकेंक्षित लेखाओं के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2013–14 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा कुल अर्जित लाभ/उठाई गई हानि के विवरण ग्राफ क्र. 1.4 में दिये गये है।

ग्राफ क्रमांक 1.4

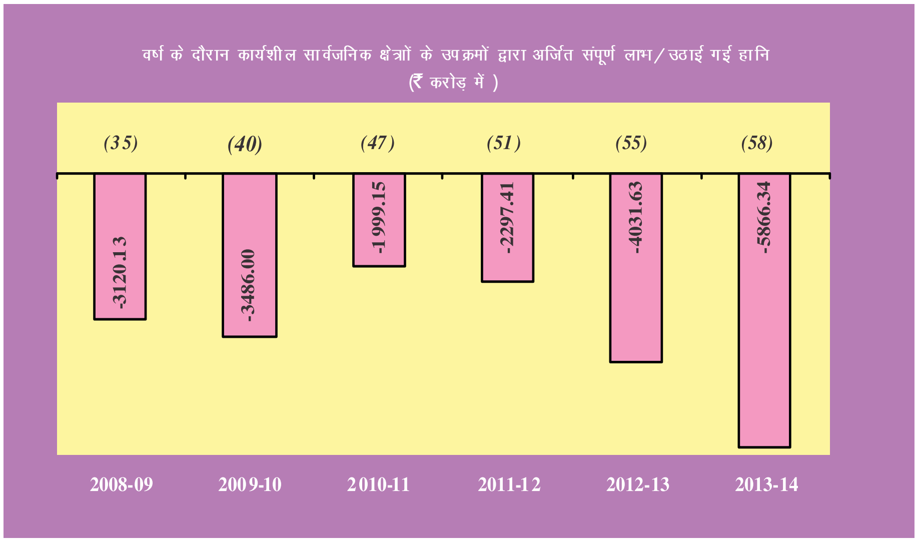

(कोष्ठक में दर्शाये गए आकड़े संबंधित वर्ष में कार्यशील क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या को दर्शाता है।)

अद्यतन अंकेक्षित लेखों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 5866.34 करोड़ की हानि उठाई। 58 कार्यशील उपक्रमों में से 27 उपक्रमों ने ₹ 349.95 करोड़ का

लाभ कमाया जबकि छः उपक्रमों को न लाभ हुआ न हानि और 20 उपक्रमों ने ₹ 6216.29 करोड़ की हानि उठाई। पाँच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उनके प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये। लाभ में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 62.42 करोड़) मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 51.41 करोड़), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 46.27 करोड़), मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन (₹ 46.16 करोड़), मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (₹ 23.96 करोड़), का था। हानि में प्रमुख योगदान मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2113.02 करोड़) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1887.15 करोड़), मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विघुत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1810.95 करोड़), एवम् मध्यप्रदेश पावर जनरेंटिग कम्पनी लिमिटेड (₹ 385.75 करोड़) का था।

1.17 नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की एक समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 619.14 करोड़ की हानियां उठाई और ₹ 294.92 करोड़ के निष्फल निवेश किये, जिसको अपेक्षाकृत अच्छे प्रबन्धन से नियन्त्रित किया जा सकता था । जिसका उल्लेख तालिका क्र. 1.5 में है।

तालिका क्रमांक 1.5 ***(₹ करोड़ में)***

विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	योग
निवल लाभ/(हानि)	(2297.41)	(4031.63)	(5866.34)	(12195.38)
नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार नियन्त्रण योग्य हानियां	27.35	458.22	133.57	619.14
निष्फल निवेश	180.29	62.97	51.66	294.92

1.18 राज्य सरकार ने कर के बाद लाभ पर न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश के भुगतान के लिये एक लाभांश नीति बनाई थी (जुलाई 2005) । अपने 30 सितम्बर 2014 को अद्यतन अंकेक्षित लेखाओं के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के 27 उपक्रमों ने कुल ₹ 349.95 करोड़ का लाभ अर्जित किया और सार्वजिनिक क्षेत्र के छ उपक्रमों ने ₹ 8.55 करोड का लाभांश घोषित किया। जबकि शेष 21 लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों ने कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

लेखाओं का बकाया अंतिमीकरण

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166,210,230,619 तथा 619 –ख के अधीन कम्पनी के प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखाओं को सम्बन्धित वित्त वर्ष की समाप्ति से छः माह के भीतर अंतिम रूप देना अपेक्षित है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में, उनके लेखाओं को उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप दिया जाना होता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है और विधान सभा के पटल पर रखा जाता है । तालिका क्र. 1.6 में सितम्बर 2014 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप देने में की गई प्रगति के विवरण दिये गये है :

[9] परिशिष्ट 1.1 के क्र क – 19, 23, 31, 38, 41, एवं 51।
[10] परिशिष्ट 1.1 के क्र. क – 9, 16, 53, 54, 50।
[11] परिशिष्ट 1.1 क – 15, 20, 27, 43, 45 व ख – 1

तालिका क्रमांक 1.6

क्र. स.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	47	51	55	55	58
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गए लेखाओं की संख्या	49	59	50	49	47*
3.	बकाया लेखाओं की संख्या	66	58	63	64	84
4.	प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की औसत बकाया (3/1)	1.40	1.14	1.15	1.16	1.44
5.	बकाया लेखाओं वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील उपक्रमों की संख्या	33	26	26	25	32
6.	बकायों की सीमा	1 से 8 वर्ष	1 से 7 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 9 वर्ष	1 से 10 वर्ष

(स्त्रोत :– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रदत्त की गई जानकारी)

1.20 बकाया लेखों की संख्या में 2010–11 तक कमी आई तत्पश्चात् उनमें 2013–14 तक निरतंर वृद्धि हुई है। वर्ष 2013–14 के दौरान 58 कार्यशील उपक्रमों के 47 लेखें अंतिम रूप दिए गए तथा 84 लेखे बकाया थे।

1.21 उपरोक्त के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों में भी लेखे बकाया थे । सार्वजनिक क्षेत्र के 09 अकार्यशील उपक्रमों में से सात परिसमापन प्रक्रिया में थे। शेष दो उपक्रमों में लेखें दो से छः वर्ष तक के लिए बकाया थे ।

1.22 राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे 16 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जिनके लेखे तैयार नहीं थे, ₹ 1342.14 करोड (समता अंशः ₹ 38.93 करोड , ऋणः ₹ 99.10 करोड , आर्थिक सहायताः ₹ 1040.96 करोड तथा अनुदानः ₹ 163.15 करोड) का निवेश किया था जिसका विवरण ***परिशिष्ट–1.6*** में दिया गया है । वार्षिक लेखे न बनने एवं उनकी लेखापरीक्षा ना होने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्ययों को लेखाओं में ठीक ढंग से लेखांकन किया गया है या नहीं एवं व्यय/निवेश जिस उदेश्य से किये गये थे उनकी प्राप्ति हुई है या नहीं । इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी निवेश राज्य विधायिका की समीक्षा से बाहर रह गया। इसके अतिरिक्त लेखे तैयार करने में विलम्ब के परिणामस्वस्प कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का उल्लंघन के साथ–साथ जनता के पैसों में धोखाधड़ी का जोखिम तथा दुरूपयोग भी हो सकता है ।

---

* इसमें कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के 43 लेखे तथा दो सांविधिक निगमों (मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कारपोरेशन व मध्य प्रदेश वित्त निगम) के 4 लेखें सम्मिलित है।

[12] मध्यप्रदेश लिफ्ट इरिगेशन निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड; ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

[13] मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग लिमिटेड।

1.23 प्रशासनिक विभागों का यह दायित्व है कि इन संस्थानों की गतिविधियों पर दृष्टि रखें और यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि में लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाए तथा उन्हें अंगीकृत किया जाए । हालांकि संबंधित प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा द्वारा बकाया लेखों की जानकारी के संबंध में तिमाही आधार पर सूचित किया जाता है तथा यह मामला नवम्बर 2014 में मुख्य सचिव/प्रधान सचिव वित्त के ध्यान में भी लाया गया अपितु सुधार हेतु कोई उपाय नहीं किया गया।

1.24 बकायों की उपरोक्त स्थिति के परिपेक्ष्य में यह अनुशंसा की गई है कि सरकार को बकाया लेखाओं के समापन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए लेखाओं को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन हो ।

सार्वजनिक क्षेत्र के अकार्यशील उपक्रमों का समापन

1.25 31 मार्च 2014 को सार्वजनिक क्षेत्र के 09 अकार्यशील उपक्रम थे । इनमें से सार्वजनिक क्षेत्र के सात अकार्यशील उपक्रमों ने समापन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ।

1.26 वर्ष 2013–14 के दौरान किसी भी कम्पनी/निगम की समापन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई । अकार्यशील कम्पनियों की समापन की स्थिति तालिका क्र. 1.7 में दी गई है ।

तालिका क्रमांक 1.7

क्र. सं.	विवरण	कम्पनियां
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	9
2.	उपरोक्त (1) में से संख्या नीचे	
(क)	स्वेच्छा से परिसमापन (परिसमापक नियुक्त)	7[15]
(ख)	समापन यथा बन्द करने के आदेश/अनुदेश जारी हो गए है परन्तु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रांरभ नही हुई है।	2[16]

1.27 स्वैच्छिक रूप से परिसमापन प्रक्रिया के लिये कम्पनी अधिनियम अधिक शीघ्रगामी है और उसको संशक्त रूप से अंगीकार/ अनुसरण करने की आवश्यकता है। सरकार इनकी अकार्यशील स्थिति को दृष्टिगत करते हुये इनको अस्तित्व में बनाए रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकती है।

लेखाओं पर टिप्पणियां

1.28 अवधि अक्टूबर 2013 से सितम्बर 2014 के दौरान 39 कार्यशील कम्पनियों ने वर्ष के दौरान अपने अंकेक्षित 43 लेखे, अग्रेषित किये । इनमें से 24 कम्पनियों के 28 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया । भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि लेखाओं के संधारण की गुणवत्ता में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है । वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणामों पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विवरण तालिका क्र. 1.8 में है ।

---

[14] कम्पनियों द्वारा कोई अंतिम जानकारी नहीं दिये जाने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन 2012–13 से लिया गया।

[15] मध्यप्रदेश लिफ्ट इरिगेशन निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य दुग्ध विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड; मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड; ऑपटेल टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड।

[16] मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग लिमिटेड।

तालिका क्रमांक 1.8

क्रं स.	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	8	463.78	3	8.39	2	15.87
2.	हानि में वृद्धि	4	40.45	2	52.16	3	181.06
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	2	107.32	2	697.28	6	110.63
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	5	176.33	2	2548.36	10	234.26

(स्त्रोत :– नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं सांविधिक लेखापरीक्षको की टिप्पणी)

उपरोक्त तालिका प्रकट करती है कि सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ/हानि एवं वर्गीकरण की त्रुटियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का काफी प्रभाव है।

1.29 वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कार्यशील कम्पनियों के समस्त लेखाओं को अर्हता प्रमाण पत्र दिये थे । इसके अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने भी अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान 16 लेखाओं पर टिप्पणियां दी। इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानको का अनुपालन खराब रहा। वर्ष के दौरान 11 लेखाओं में लेखांकन मानकों के पालन न करने के 46 उदाहरण थे।

1.30 कम्पनियों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों का उल्लेख नीचे किया गया है।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2013–14)

- कम्पनी द्वारा 2013–14 में पूँजीकृत परन्तु पूर्व वर्षो में अधिकृत स्थाई सम्पत्ति के ह्रास का लेखा न करने के परिणामस्वरूप हानि की राशि ₹ 11.68 करोड़ कम दर्शाई गई है।
- कम्पनी द्वारा अनप्रयुक्त योजना निधि के स्थाई जमा से प्राप्त ब्याज तथा योजना के मोबाइल अग्रिम तथा सामग्री अग्रिम खातों से प्राप्त दण्डात्मक ब्याज को शामिल करने के कारण अन्य आय एवं पूंजीगत कार्य प्रगति राशि ₹ 16.23 करोड़ कम दर्शाई गई तथा अन्य दायित्व एवं हानि उतनी ही राशि से अधिक दर्शाये गये।
- 2014–15 की उगाही में अनुपूरक ऊर्जा बिलों की राशि ₹ 44.98 करोड़ जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के पूर्व के थे, को शामिल न करने के परिणामस्वरूप ऊर्जाखरीद लागत कम दर्शाई गयी। जिसके कारण हानि की राशि ₹ 44.98 करोड़ से कम दर्शाई गयी।

मध्य प्रदेश पॉवर मेंनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (2013–14)

- कम्पनी द्वारा श्री माहेश्वरी हाईडल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड के संदिग्ध ऋणों का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप विद्युत वितरण कम्पनियों से प्राप्त होने वाली राशि तथा संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान राशि ₹ 12.76 करोड़ से कम दर्शाई गई।

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (2013–14)

• कम्पनी द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान प्रदाय साम्रगी पर मूल्य परिवर्तन की राशि जो कि वर्ष 2014–15 में भुगतान की गई, के कारण चालू दायित्व राशि ₹ 8.94 करोड़ से कम दर्शायी गई। जिसके परिणामस्वरूप चालू दायित्व ₹ 8.94 करोड़ से कम तथा पूंजीगत कार्य प्रगति भी उतनी राशि में कम दर्शाया गया।

• मॅहगाई भत्ते, अनुषंगी लाभ के खाते में पेशंन वृद्धि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप अनुषंगी लाभ की राशि ₹ 9.59 करोड कम दर्शायी गई तथा चालू दायित्व भी उतनी ही राशि में कम दर्शाया गया।

• कम्पनी द्वारा वित्तीय शुल्क की राशि ₹ 2.66 करोड को पूंजीगत कार्य में शामिल किया जिसके परिणामस्वरूप उस वर्ष में वित्तीय शुल्क एंव हानि राशि ₹ 2.66 करोड अधिक दशाई गयी तथा पूंजीगत कार्य प्रगति भी उतनी ही मात्रा में कम दर्शायी गई है।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2013–14)

• आर.ए.पी.डी.आर.पी. योजना के कियान्वयन के दौरान अन्य आय की राशि ₹ 19.02 करोड में अनप्रयुक्त निधि के सावधि जमा पर ब्याज की राशि ₹ 7.77 करोड तथा बैंक गारण्टी भुनाने तथा तरलता नुकसान की वसूली की राशि ₹ 11.25 करोड को शामिल किया गया। जिसके परिणामस्वरूप अन्य आय तथा पूॅजीगत कार्यप्रगति को ₹ 19.02 करोड से अधिक तथा अन्य चालू दायित्व तथा हानि को उसी राशि से कम दर्शाया गया।

• राजीव गॉधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्र्तगत भारत सरकार में ऊर्जामंत्रालय को देय योजना की अनुप्रयुक्त अनुदान राशि के ब्याज की राशि ₹ 6.55 करोड का प्रावधान न करने के कारण वित्तीय लागत और चालू दायित्व राशि ₹ 6.55 करोड कम दर्शाया गया तथा हानि भी ₹ 6.55 करोड राशि से कम दर्शायी गयी।

• कपनी द्वारा लेखा मानक–16 का उल्लंघन करते हुए पूॅजी कार्य के ऋण के ब्याज को राजस्व व्यय के रूप में दर्शाया गया जिसके परिणामस्वरूप पूंजी व्यय कम दर्शाया तथा लाभ हानि खाते में देय ब्याज अधिक दर्शाया गया और पूंजीगत कार्य प्रगति की राशि ₹ 35.86 करोड कम दर्शाई गई, जिससे हानि राशि ₹ 35.86 करोड अधिक दर्शाई गई थी।

• 2013–14 के पूर्व अधिकृत सम्पत्तियों का पूंजीकरण न करने के परिणामस्वरूप ह्रास एंव मरम्मत व्यय तथा पूर्व अवधि व्यय राशि ₹ 6.47 करोड़ से कम दर्शाया गया। तथा मूर्त सम्पत्ति राशि ₹ 12.94 करोड से अधिक दर्शायी गई। जिससे उक्त समयावधि के दौरान हानि राशि ₹ 12.94 करोड कम दर्शाई गयी।

• वर्ष के दौरान अपलिखित तथा सदिग्ध एंव डूबत ऋण के प्रावधान तथा हानि राशि ₹ 11.91 करोड कम दर्शायी गई क्योंकि :–

i. कम्पनी ने ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी संस्था को दिये गये दीर्घ तथा लघु अवधि के ऋण राशि ₹ 4.45 करोड का प्रावधान नहीं किया।

ii. ग्रामीण विद्युतीकरण संस्था में दीर्घावधि निवेश की राशि ₹ 4.61 करोड की कमी दर्शायी गई है क्योंकि वह तरलता में उल्लेखित नहीं है।

iii. राशि ₹ 2.85 करोड की देयता जो जल संसाधन विभाग से प्राप्य है। जबकि कम्पनी ने पूर्व में अपनी 59वी बोर्ड बैठक में ही इसे 31 मार्च 2012 से पूर्व प्राप्य करने का निर्णय लिया है।

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (2013–14)

- कम्पनी द्वारा अतिरिक्त योजना व्यय से प्राप्त ब्याज और ठेके का ब्यौरा कार्य सम्पादित न किये जाने के कारण भुनाई गई बैंक गारण्टी को अपनी आय के रूप में दर्शाया गया, जिसके कारण अन्य आय राशि ₹ 25.23 करोड से अधिक दर्शायी गई। इस कारण पूंजीगत कार्य राशि ₹ 25.23 करोड से अधिक तथा हानि भी उतनी ही राशि से कम दर्शायी गई है।

संत रविदास हस्तशिल्प एंव हथकरघा विकास निगम (2012–13)

- जीवन बीमा निगम को देय राशि का लघु प्रावधान होने के कारण ग्रेजुएटी की राशि के लिए प्रावधान में ₹ 54 लाख कम दर्शाये गये है। जिसके परिणामस्वरूप चालू दायित्व को ₹ 54 लाख कम दर्शाया गया है तथा लाभ उतनी ही राशि में अधिक दर्शाया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड (2012–13)

- अक्टूबर 2012 में अधिकृत स्थाई सम्पत्ति का पूंजीकरण न करने के कारण कार्यशील पूंजी राशि ₹ 12.41 करोड अधिक दर्शाई गयी तथा स्थाई सम्पत्ति में उतनी ही राशि कम दशाई गई है। तथा ह्रास के लिये प्रावधान नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम (2012–13)

- आयकर निर्धारण वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान आयकर मॉग के लिए राशि ₹ 74.89 के लिए बोर्ड के निर्णय के बावजूद प्रावधान न करने से आयकर प्रावधान कम दर्शाये गये है। तथा वन विभाग से प्राप्त राशि ₹ 74.89 करोड अधिक दशाई गई है।

- छठे वेतन आयोग के बकाया राशि की तीसरी किस्त जो जुलाई 2013 में देय है। का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप लघु प्रावधान राशि ₹ 4.50 करोड वन विभाग के शुद्ध व्यय ₹ 3.98 करोड तथा पुर्नउत्थान व्यय ₹ 38.80 लाख कम दर्शाये गये है। तथा लाभ राशि ₹ 12.93 लाख अधिक दर्शायी गई है।

संविधिक निकाय के लेखों पर टिप्पणीयॉ

1.31 वर्ष 2013–14 के दौरान दो सांविधिक निगमों – मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक निगम एवं मध्यप्रदेश वित्त निगम ने अपने 4 लेखे अग्रेषित किये। सांविधिक लेखापरीक्षक टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य के विवरण तालिका क्र. 1.9 में दिए गए हैं।

तालिका क्रमांक 1.9

क्रं स.	विवरण	2011–12		2012–13		2013–14	
		लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	–	–	–	–	2	8.80
2.	हानि में वृद्धि	–	–	–	–	–	–
3.	तथ्यों को प्रकट न करना	–	–	–	–	–	–
4.	वर्गीकरण की त्रुटियां	–	–	–	–	2	23.60

(स्त्रोत :– नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं सांविधिक लेखापरीक्षको की टिप्पणी)

1.32 मध्य प्रदेश राज्य वित्तीय निगम पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण टिप्पणीयों का उल्लेख नीचे किया गया हैं :–

मध्य प्रदेश वित्त निगम

2012–13

- निगम द्वारा सिडबी वित्तीय स्थिति के प्रारूप का पालन न करते हुए राशि ₹ 3.48 करोड (₹ 87.65 लाख प्रसंस्करण शुल्क एवं राशि ₹ 2.60 करोड अग्रिम शुल्क) अन्य आय के स्थान पर परिचालन से आय में दर्शाई गई जिसके परिणामस्वरूप परिचालन से आय अधिक एवं अन्य आय ₹ 3.48 करोड से कम दर्शाई गई।

2013–14

- राज्य सरकार व निगम के मध्य वचन पत्र के बावजूद गैर निष्पादन संपत्ति का नहीं दर्शाया गया। परिणामस्वरूप दायित्व व प्रावधान तथा अन्य परिसंपत्तियॉ ₹ 18.90 करोड से कम दर्शाई गई।

- वर्ष 2011–12 के दौरान निगम ने गैर निष्पादित सम्पत्ति के लिए ₹ 3.01 करोड का प्रावधान किया तथा पुर्नगठित संचित खाते में समायोजित किया, जबकि वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में निगम ने अन्य पद्धति अपनायी तथा गैर निष्पादन सम्पत्ति के प्रावधान की राशि ₹ 2.03 करोड तथा ₹ 4.74 करोड को पुर्नगठित संचित खाते में समायोजित करने के स्थान पर लाभ हानि खाते से डेबिट किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए लाभ ₹ 6.77 करोड से कम दर्शाया गया साथ ही उतनी ही राशि से पुर्नगठित संचित खाता अधिक दर्शाया गया।

आंतरिक नियंत्रण पर टिप्पणियां

1.33 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619–3(क) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टड एकाउन्टेन्टस) को उनके द्वारा लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों में आंतरिक

नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और ऐसे क्षेत्रों जिनमें सुधार की आवश्यकता है, कि पहचान करनी होती है । वर्ष 2013–14 के लिये 15 कम्पनियों की आंतरिक लेखापरीक्षा/आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में सम्भावित सुधार पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई प्रमुख टिप्पणियों का एक निर्देश सारांश तालिका क्र. 1.10 में दिया है ।

तालिका क्रमांक 1.10

क्र. स.	सांविधिक लेखा परीक्षको द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनके लिए अनुशंसायें की गई	*परिशिष्ट 2* की कम्पनियों की क्र. स. का सन्दर्भ
1.	कम्पनी की प्रकृति तथा व्यवसाय के आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली का अभाव	12	क.4 क.6 क.22 क. 23 क.24 क.25 क. 27 क.29 क.33 क. 35 क.47 तथा ब.2
2.	लागत अभिलेखों का संधारण न करना	3	क.32 क.33 तथा क.36
3.	मात्रात्मक विवरण, दिनांकित स्थितियां, परिचय संख्या अधिग्रहण की तिथि, अचल परिसम्पत्तियों का मूल्य, ह्रासगत मूल्य तथा उनके स्थान सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख संधारित न करना	3	क.4 क.34 तथा क. 36

(स्त्रोत :– सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों के अनुसार)

लेखापरीक्षा के उल्लेख पर वसूलियां

1.34 वर्ष 2013–14 में औचित्य लेखापरीक्षा के समय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के प्रबन्धन को ₹ 27.94 करोड की वसूलियां बताई गई थी जिसमें से राशि ₹ 26.09 करोड 9[17] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वीकार की थी तथापि वर्ष 2013–14 में तीन[18] सार्वजनिक उपक्रमों से इस वर्ष तथा गत वर्षो की केवल ₹ 4.12 करोड़ राशि की वसूली की गई ।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखने की स्थिति

1.35 तालिका क्र. 1.11 सांविधिक निगमों के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को सरकार द्वारा विधान सभा पटल पर रखने की स्थिति को दर्शाती है ।

तलिका क्रमांक 1.11

क्र.स.	सांविधिक निगमों का नाम	वर्ष, जिनकी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखे गए		
		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकार को प्रेषित करने की तिथि	विधानसभा के पटल पर रखने की तिथि
1.	मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक निगम	2012—13	30 जनवरी 2014	15 जुलाई 2014
2.	मध्यप्रदेश वित्त निगम	2012—13	19 मई 2014	04 जुलाई 2014

[17] परिशिष्ट 1.1 का क – 4, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 42, 44

[18] परिशिष्ट 1.1 का क – 7, 8 व 33

1.36 मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम का वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो कि 13 अप्रैल 2009 को जारी किया गया, विधान सभा के पटल पर नहीं रखा गया । इस हेतु म.प्र. सड़क परिवहन निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधान सभा के पटल पर रखने में विलम्ब के कारण सांविधिक निगमों पर विधान मण्डल का नियंत्रण कमजोर हुआ और इसके कारण वित्तीय उत्तरदायित्व भी कमजोर हुये । सरकार को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधान सभा में त्वरित प्रस्तुति सुनिश्चित करनी चाहिये ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्गठन

1.37 राज्य सरकार ने वर्ष 2013–14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश व निजीकरण नहीं किया। हालाकि इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का नाम अटल इन्दौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड का नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) कर दिया गया है।